फर्द अंहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हराराम पुत्र रेवन्ताराम जाति दर्जी, निवासी केसरपुरा, बलाई तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (08)		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (22)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 131, 136)

मुकदमा नम्बर 209/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार शिव को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर एवं विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब व मौका रिपोर्ट हेतु आईन्दा दिनांक 21.08.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	
21.8.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 4.9.23 को पेश हो।	
4.9.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 11.9.23 को पेश हो।	
11.9.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18.10.23 को पेश हो।	
18.10.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ~~[illegible]~~ उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण की तामिल व TDR शिव से मौका रिपोर्ट का इन्तजार होकर दिनांक 18.12.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:58:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

25.6.25

पत्रावली पेश। बाकुलाप उपस्थित।
पत्रावली में धारा 151 CPC के प्रार्थना पत्र पर
उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
विपक्षी संख्या 2 के वकील द्वारा दस्तावेज
पेश किये गये। विपक्षी वकील द्वारा अपनी
बहस में विवादित आराजी के संबंध में
निवेदन किया कि उक्त आराजी का पूर्व के
अभियान में आपसी सहमति से बंटवारा
किया गया है तथा पक्षकार उसी अनुसार
काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में
तरमीम दुरुस्ती का जो आवेदन पेश किया है वह
विधि से बाधित होने एवं चलने योग्य नहीं है।
सहमति बंटवारा की अपील की जा सकती है
किन्तु प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरुस्ती का आवेदन
पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं होने
से खारिज फरमाया जावें। इसके विपरीत
प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन
किया कि पूर्व में किये गये बंटवारे से
प्रार्थीगण के घर प्रभावित हो रहे हैं, जिसे
प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त एवं रहवासी
घरों की बसावट के अनुसार तरमीम दुरुस्त
करवाना चाहते है। अतः श्रीमान जी से
निवेदन है कि धारा [illegible] cpc का प्रार्थना
पत्र [illegible] शिव से
प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरुस्ती
का आदेश फरमाया जावें।
हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना एवं

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:58:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। विपक्षी वकील द्वारा पेश दस्तावेज सहमति विभाजन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन होने पर वर्तमान खाता नम्बर व तरमीम का अंकन किया गया है। पूर्व में हुए सहमति बटवारा से असंतुष्ट होने पर प्रार्थिनी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की जाकर चाराजोई की जा सकती है तथा उक्त स्थिति में तरमीम दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः विपक्षी वकील द्वारा पेश धारा 151 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:38:19 IST
Reason: SelfAttested